संख्या-05/2016/6789/नौ-5-2015-223बजट/2015

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
सिरसागंज-फिरोजाबाद।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 14 जनवरी, 2016

विषयः- मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद फिरोजाबाद में की गयी घोषणा के अनुपालन में सड़क सुधार के कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1620/स्था0नि0सहा0 दिनांक 11.12.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद को द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन में प्रस्तावित कार्यो के सापेक्ष कुल रू. 271.12 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जाने वाली धनराशि रू. 135.56 (रू. एक करोड़ पैंतीस लाख छप्पन हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रू. में)

क्रम सं0	निकाय/जनपद का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	नगर पालिका परिषद, सिरसागंज,फिरोजाबाद	1. वार्ड नं. 06 अरांव रोड पर ठाकुर दिनेश के घर से बालकल्याण स्कूल तक एवं ओमशान्ति स्कूल वाली गली में नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	13.16	
		2. वार्ड नं. 06 अरांव रोड पर धर्मेन्द्र के घर से रमेश टेलर एवं जगदीश के घर से जयश्रीराम के घर तक नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	5.32	
		3. वार्ड नं. 08 अरांव रोड श्रीनिवास के घर से उपेन्द्र यादव के घर तक एवं असर्फीलाल वाली गली में नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	8.07	
		4. वार्ड नं. 09 रमेश चन्द्र के घर से अशोक कुमार कुशवाह के घर तक नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	2.37	
		5. वार्ड नं. 10 रामविलास वाली गली में नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	2.53	

क्रम सं0	निकाय/जनपद का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
		6. वार्ड नं. 10 रहीम मंसूरी के घर से जाकिर हुसैन के घर तक एवं वार्ड सदस्य सरोज यादव के बगल वाली गली में नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	2.09	
		7. वार्ड नं. 10 सिरसा रोड से तालाब के तरफ जाने वाले गेट तक नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	18.58	
		8. वार्ड नं. 12 करहल रोड पर आचार्य नगर में दिनेश कुमार के घर से उमेश बाबू के घर तक नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	10.62	
		9. वार्ड नं. 12 करहल रोड पर टंकी के पीछे से टयूबवेल तक एवं दीनानाथ पुरम वाली गली में नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	10.62	
		10. वार्ड नं. 12 सोथरा रोड पर फ्रेंड कालोनी व बघेल कालोनी एवं रमादेवी से देवेन्द्र के प्लाट तक नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	5.82	
		11. वार्ड नं. 12 करहल रोड पर बृषमान सिंह के घर से विनोद कुमार के घर तक एवं अवलाक फौजी वाली गली व कुँवर सिंह वाली गली में नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	4.90	
		12. वार्ड नं. 12 सोथरा रोड पर वैद्यनाथ यादव के घर से उपेन्द्र यादव के घर तक नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	5.84	
		13. वार्ड नं. 13 मण्डी गाँधी चौक में नयी आबादी में आन्तरिक गलियों में नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	20.91	
		14. वार्ड नं. 13 मण्डी गाँधी चौक में नयी आबादी क्षेत्र में मैन गली अभिषेक जैन के घर से बन्द गली तक नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	11.29	
		15. वार्ड नं. 15 जयवीर नगर गली नं0 04 में नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	14.68	
		16. वार्ड नं. 15 मुकेश यादव वाली गली में एवं लक्ष्मीनारायण यादव के घर से बेबी के घर तक नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	8.98	
		17. वार्ड नं. 15 सुनील प्रधान वाली गली एवं शमशान घाट वाली गली में नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	7.36	
		18. वार्ड नं. 17 श्रीओम मास्टर के घर से पिन्टू के घर तक एवं सुरेश चन्द्र शर्मा के घर से छोटेलाल के घर तक नाली	9.07	

क्रम सं0	निकाय/जनपद का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
		एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण		
		19. वार्ड नं. 17 वरखण्डी रोड पर पिन्टू के घर से रवि के घर तक नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	9.91	
		20. वार्ड नं. 21 हैवतपुर रोड पर सतीश चन्द्र के घर से दौलत राम के घर तक एवं श्रीदयाल मास्टर के घर से पप्पू के घर तक नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	7.81	
		21. वार्ड नं. 23 अफसर खान अण्डे वाले की गली में नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	2.58	
		22. वार्ड नं. 21 इटावा रोड पर आईडियल पब्लिक स्कूल वाली गली में नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	3.96	
		23. वार्ड नं. 06 अरविन्द के घर से रतन सिंह के घर तक एवं श्रीकृष्ण मन्दिर तक नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	8.32	
		24. वार्ड नं. 12 करहल रोड पर आचार्य नगर में एल0आर0 गार्डन के बगल वाली गली में नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	3.50	
		25. वार्ड नं. 20 सराय मोहनगंज में तालाब के पास कब्रिस्तान से शमशान घाट तक नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	12.00	
		26. वार्ड नं. 20 सराय मोहनगंज में गेट से तालाब के पास तक नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	9.31	
		27. वार्ड नं. 20 सराय मोहनगंज में तालाब के पास रमाकान्त के खेत से कब्रिस्तान तक नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	17.25	
		28. वार्ड नं. 21 हैवतपुर रोड ज्वाला नगर की आन्तरिक गलियों में नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	24.84	
		29. वार्ड नं. 21 हैवतपुर रोड ज्वाला नगर में सन्जू के घर से मोतीमाला के घर तक मुख्य गली में नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	9.43	
		योग	271.12	135.56

(रू .एक करोड़ पैंतीस लाख छप्पन हजार मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए/

डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित की जायेगी।

2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
3. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07 जून, 2013 तथा शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत **'डिस्पले बोर्ड'** पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक **31-03-2016** तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
11. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत **लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-09-सड़क सुधार हेतु व्यवस्था-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान'** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/बी-1-2-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 के तहत प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-05/2016/6789(1)/नौ-5-2015-223बजट/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, आगरा।
3. जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
4. कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
5. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ/इलाहाबाद।
7. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक(अनुभाग-1/2)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-14/01/2016

प्रेषण संख्या:- 05

आवंटन आदेश संख्या:- 001-05-2016-6789-9-5-2015-223B-15

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)

05 - अन्य शहरी विकास योजनाये

800 - अन्य व्यय

09 - सड़क सुधार हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	फिरोजाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	13556000 13556000	13556000 13556000
	योग	वर्तमान प्रगामी	13556000 13556000	13556000 13556000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ पैंतीस लाख छप्पन हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ पैंतीस लाख छप्पन हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी